कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः 2029 /एस0टी0–डी0एम0–कोरोना / 2020 दिनांक: 4/5/2020

आदेश

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या 195 / एक –11–2020–रा0–11 दिनांक 24 मार्च,2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3 / 2020–DM-i(A) दिनांक 01.05.2020 कोविड महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन को अग्रिम 02 सप्ताह तक प्रभावी बनाये जाने के कम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 381 / 2020 / सीएक्स–3 गृह (गोपन)अनुभाग–3 दिनांक 03.05.2020 द्वारा प्रख्यापित निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आदेश संख्या–2028 / एस0टी0–डी0एम0 / 2020 दिनांक 04.05.2020 के कम में निम्नलिखित औद्योगिक गतिविधियों को उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के साथ अनुमति दी गयी है :–

शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units(EOUs), इण्डस्ट्रीयल स्टेट और इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप शामिल है, को आवाजाही पर नियन्त्रण (Access Control) के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अर्न्तवर्ती निर्माण सामग्री शामिल हैं, ऐसी उत्पादन इकाईयों जिनका सतत चलना आवश्यक हो और उनकी सप्लाई चैन, आई0टी0 हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को नॉन कन्टेन्मेन्ट जोन में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के साथ चलने की अनुमति होगी।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर के औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन अनुमति देने हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है **जिसका लिंक ipassgbn.azurewebsites.net/auth/login है।** उक्त पोर्टल के माध्यम से उद्यमी ऑनलाईन आवेदन कर, अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र पर इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन का परीक्षण करते हुए उसे प्रमाणित किया जायेगा एवं उसके उपरान्त सक्षम प्राधिकारी (नौएडा / ग्रेटर नोएडा / यीडा प्राधिकरण, यू0पी0एस0आई0डी0, एन0एस0ई0जैड0 एवं अवशेष क्षेत्र हेतु) द्वारा अनुमति पत्र निर्गत किये जायेगें।

कतिपय उद्यमियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाईयों के ऑफिस बन्द होने के कारण अभिलेख पोर्टल पर तत्काल अपलोड कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त को संज्ञान में लेते हुए पोर्टल की व्यवस्था के अतिरिक्त ई–मेल के माध्यम से अनुमति प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जायेगी।

उद्यमी अपना निम्नलिखित विवरण सक्षम प्राधिकारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शित ई–मेल पर उपलब्ध करा दें तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त विवरण के आधार पर उद्यमी को उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नॉन कन्टेन्मेन्ट जोन में आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कराते हुए अनुमति तत्काल प्रदान करेगें, ताकि वे यथाशीघ्र इकाई का परिचालन कर सके। उद्यमियों के पास अवसर होगा कि वे self regulation प्रकिया के तहत उपरोक्त पोर्टल में वांछित अभिलेखों को एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें। उद्यमियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3 / 2020–DM-i(A) दिनांक 01.05.2020 एवं उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 381 / 2020 / सीएक्स–3 गृह (गोपन)अनुभाग–3 दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित इकाईयों की संचालन सम्बन्धी प्रकिया का नियमानुसार अनुपालन करना होगा।

उद्यमी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला विवरण निम्नवत हैं :–

- उद्यमी / अधिकृत प्रतिनिधि का नाम / मोबाईल नं0 / ई–मेल
- इकाई का नाम / पूरा पता
- इकाई द्वारा उत्पादित वस्तु / सेवा का नाम

Scanned with CamScanner

- आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या

सक्षम प्राधिकारी का नाम / पदनाम / ई–मेल

- **नोएडा प्राधिकरण** - industry@noidaauthorityonline.com, (डा0 अविनाश त्रिपाठी,ओ0एस0डी0)
- **ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण** - aceod@gnida.in, (श्री दीपचन्द, ए0सी0ई0ओ0)
- **यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण** - skbhatiapcs@gmail.com (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, ए0सी0ई0ओ0)
- **एस0ई0जैड0** -ddcrks@nsez.gov.in (श्री आर0के0श्रीवास्तव, उप विकास आयुक्त)
- **यू0पी0 सीडा** -rmsurajpur@upsidc.com (श्री अजयदीप सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक)
- **अन्य अवशेष क्षेत्र हेतु** -dcigbn@gmail.com (श्री अनिल कुमार, उपायुक्त उद्योग, गौतमबुद्धनगर)

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुहास एल0वाई0)
जिला मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।